

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर
क्रमांक: एफ ()एफसीए/मुवसंवजी/2024/ 976 दिनांक 28-03-2024
निमित्त

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
द्वितीय, रणथम्भौर बाघ परियोजना
करौली

विषय:- Diversion fo 0.753 ha forest land for Laying underground OFC along road
from Mandrayal to Ghari Ka Gaon to Kutalpur from Lat/Long 26.30437/
77.231 to 26.01800/76.69551 for length of 72.518 Kms & area 3.263 ha. in &
outside of forest area in Karauli District.
(Proposal No.PF/RJ/OFC/150679/2021)

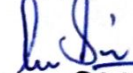
संदर्भ:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक
691-92 दिनांक 06.03.2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के संदर्भित
पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है कृपया पत्र में अंकित बिन्दुओं की पालना आपके
स्तर पर एवं यूजर एजेन्सी से करवाकर प्रस्ताव पुनः भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(लखन सिंह)

उप वन संरक्षक, विकास
वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक
रणथम्भौर बाघ परियोजना
सवाई माधोपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 690

दिनांक 06/03/24

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर।

विषय:- Diversion of 0.753 ha forest land for laying underground OFC along road from Mandrayal to Ghari Ka Gaon to Kutalpur from Lat/Long 26.30437 / 77.231 to 26.01800/ 76.69551 for length of 72.518 Kms & area 3.263 ha in & outside of forest area in Karauli District.
(Proposal no FP/RJ/OFC/150679/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. Recommendation of DCF is not clear in his recommendation report.
2. DCF has not been submitted notification of forest block/Kailadevi Sanctuary /NCS Sanctuary.
3. Total 126 trees coming inside the ROW, Therefore, CA scheme will be submitted for 1260 plants.
4. DGPS map, GT Sheet map of CA land are not proper.
5. It has not been specified whether total 126 tree are to be cut or not. Comments from DCF is required.
6. NPV certificate has not been submitted.
7. Copy of approval from NBWL has not been submitted in sr.n. I(ii) of part I
8. Village wise area has not been mentioned at sr.no. B-2.3 of part I
9. Segment wise area of KML has not been matched with the area mentioned.

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2022/एफसीए/प्रमुवसं./ 691-92 दिनांक 06/03/24
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक (RTR II Buffer), करौली।
2. जियो डिजीटल फाइबर लिमिटेड, प्रथम मंजिल, आनंद भवन, संसार चन्द्र रोड जयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर।

150

6-Mar-24